LatestLaws.com

Helping Good People Do Good Things

Bare Acts & Rules

Free Downloadable Formats

Hello Good People !

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 508) पटना, बुधवार, 14 सितम्बर 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

14 सितम्बर 2011

सं0 एल0जी0-1-19/2011/लेज: 173––बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 16, 2011]

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011

प्रस्तावनाः–बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम–7, 2002) [बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 26, 2007) द्वारा यथासंशोधित] में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यथा–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा–3 की उप–धारा (1) का प्रतिस्थापन।–उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप–धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"(1) बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित संख्या में सदस्यों को मिलाकर होगा।"

3. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा–5 का प्रतिस्थापन।–उक्त अधिनियम की धारा–5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"5. सेवाएँ/संवर्ग/पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा।–आयोग, नियमावली में यथाप्रावधानित रु. 4800 (चार हजार आठ सौ रुपये) ग्रेड–पे (समय–समय पर यथा पुनरीक्षित) से कम ग्रेड–पे वाले, राज्य सरकार एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गो/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।"

4. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा–9 की उप–धारा (2) का प्रतिस्थापन।–उक्त अधिनियम की धारा–9 की उप–धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगीः–

"(2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक के उत्तरदायित्व एवं अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रशासनिक शाखा के उत्तरदायित्व सौंप सकेंगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

14 सितम्बर 2011

सं0 एल0जी0-1-19/2011/174/लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 सितम्बर, 2011 को अनुमत बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 16, 2011]

BIHAR STAFF SELECTION COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2011

AN

ACT

***Preamble*:—To amend the Bihar staff selection commission Act 2002 (Bihar Act 7, 2002) as amended by Bihar staff selection commission (Amendment) Act 2007 (Bihar Act 26, 2007).**

Be it enacted by the legislature of state of Bihar in the sixty two year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title extent and commencement.***—(1) This Act may shall be called the Bihar Staff Selection commission (Amendment) Act 2011.

(2) It shall extend to whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Substitution of sub-section (1) of section-3 of Bihar Act 7, 2002.***—Sub-section (1) of section -3 of the said Act shall be substituted by the following:-

"(i) Bihar staff selection commission shall be constituted consisting of a chairman and number of members as determined by the State Government."

3. ***Substitution of section- 5 of Bihar Act 7, 2002.***—Section -5 of the said Act shall be substituted by the following:-

"5. Services/Cadre/Posts/for which The commission may recommend for appointment:—The commission may recommend for appointments to all General/Technical/non technical services/ cadres/ posts under the State Government and its field offices having grade-pay less than Rs.4800 grade pay (Rs four thousand eight hundred) (as revised from time to time) and as provided in the Rules.''

4. ***Substitutions of sub-section (2) of section 9 of the said Act.*—**Sub-section (2) of section 9 of the said Act shall be substituted by the following:—

"(2) The Chairman of the Commission may entrust the responsibilities of the Controller of the Examinations to any one of the members and the responsibilities of the Administrative Section to any one of the other members"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 508-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in